निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
21/2022	29.09.2022	15/1/26

1. अब्दुल कदीर पुत्र खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर
2. अब्दुल मजीद खॉं पुत्र खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर

——अपीलार्थीगण

बनाम

1 सरपंच, ग्राम पंचायत रेण्डायल गुर्जर जरिए सरपंच
2 लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर
3. अब्दुलगनी पुत्र खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर
4. अब्दुल रहमान पुत्र खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर
5. ईदू पुत्र खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर
6. मोहम्मद सुलेमान पुत्र खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर
7 अकबरी पुत्री खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर
8. खातून पुत्री खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर

——रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश सरपंच ग्राम पंचायत रेण्डायल गुर्जर बाबत नामान्तरकरण संख्या 479 दि0 05.04.2004 ग्राम रेण्डायल गुर्जर

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थीगण की ओर से

निर्णय

अपीलार्थीगण ने अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम रेण्डायल गुर्जर की भूमि खसरा0 67 रकबा 0.22 है0 की खातेदारी पूर्व मे अपीलार्थीगण के पिता खुदाबक्श पुत्र स[illegible] जाति मुसलमान तेली के नाम दर्ज रही है। अपीलार्थीगण के पिता की मृत्यु के उपरात भूमि की विरासत का नामान्तकरण मृतक के वारिसों के नाम दर्ज किया गया। जिसमे अपीलार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 16:29:20 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 का नाम गलत रूप से अब्दुल कदीर के स्थान पर अब्दुल कबीर एवं अब्दुल मजीद खॉ के स्थान पर अमजद दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलार्थीगण का सही नाम अब्दुर कदीर एवं अब्दुल मजीद खॉ है। इसलिए अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित है। बिना किसी जॉच व जानकारी के मात्र पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तकरण को तस्दीक किया गया है। हल्का गिरदावर द्वारा भी इसकी जॉच नही की गई है। मृतक खुदाबक्श पुत्र सुन्दर के वारिसों को नोटिस दिये बिना नामान्तकरण गलत रूप से तस्दीक किया गया हैं। इस गलत इन्द्राज की अपीलार्थीगण को पूर्व मे कोई जानकारी नही थी परन्तु केसीसी बनवाने के लिए बैंक मैनेजर से मिले तो जानकारी हुई कि अपीलार्थीगण का नाम गलत दर्ज है। इस पर अपीलार्थीगण ने दिनांक 16.9.22 को पटवारी हल्का से नामान्तकरण की नकल प्राप्त की। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय व आदेश सरपंच ग्राम पंचायत रेण्डायल गुर्जर बाबत ना.स. 479 दिनांक 5.04.2004 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थीगण के नाम के इन्द्राज सही करने के आदेश दिये जावें।

अपील के साथ अपीलार्थीगण ने शपथ पत्र, धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, नकल नामान्तरकरण संख्या 712 दिनांक 05.12.2014 ग्राम रेण्डायल गुर्जर, नकल जमाबंदी सं0 2076 से 2079 खाता संख्या 02, फोटोकॉपी आधार कार्ड अब्दुल कदीर व अब्दुल मजीद खॉ, सरपंच ग्राम पंचायत रेण्डायल गुर्जर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है।

अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण 1 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है।

प्रत्यर्थी संख्या 3 ता 8 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि प्रत्यर्थीगण के भाई अपीलार्थी संख्या 1 का सही नाम अब्दुल कदीर व अपीलार्थी संख्या 2 का नाम अब्दुल मजीद खॉ है। इसी अनुसार रिकॉर्ड मे दुरस्ती करने मे प्रत्यर्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने जबाव मे अंकित किया है कि अपीलार्थीगण का नाम अब्दुल कबीर के बजाय अब्दुल कदीर एवं अमजद के बजाय अब्दुल मजीद खॉ किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 16:29:20 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 712 दिनांक 05.12.2014 ग्राम

रेण्डायल गुर्जर मे दर्ज किये गये अपीलार्थीगण का नाम अब्दुल कबीर व अमजद के स्थान अब्दुल कदीर व अब्दुल मजीद खॉ दुरूस्त करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 712 दिनांक 05.12.2014 ग्राम रेण्डायल गुर्जर मे मृतक अरफरी बेबा खुदाबक्श की विरासत मे वारिसों का नाम अ0 गनी, ईदू, अ. रहमान, अ. कबीर, अमजद, मौ0 सुलेमान पिता खुदाबक्श तथा खातून, अकबरी दर्ज किया गया है। इसमे अपीलार्थीगण का नाम अ. कबीर व अमजद गलत दर्ज किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ता 8 के जबाब के अनुसार अपीलार्थीगण का नाम अ. कबीर के स्थान पर अब्दुल कदीर तथा अमजद के स्थान अब्दुल मजीद खॉ दुरूस्त किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तकरण संख्या 712 दिनांक 05.12.2014 के आधार पर वर्तमान जमाबंदी संवत 2076—79 खाता संख्या 2 मे दर्ज नाम अ. कबीर के स्थान पर अब्दुल कदीर तथा अमजद के स्थान अब्दुल मजीद खॉ दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस जमाबंदी मे दर्ज अन्य प्रविष्ठिया यथावत रहेगीं। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य—प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.1.26 खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:29:20 IST
Reason: SelfAttested